



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9880

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 29292 वर्ष 2025

राहुल

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अनिल मलिक

विपक्षी (गण की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री कपिल कुमार, विद्वान अधिवक्ता जो श्री अनिल मुलिक, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उपस्थित हैं, श्री सुनील कुमार, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 191 वर्ष 2025, धारा 103(1) बी.एन.एस. और शस्त्र अधिनियम की धाराओं 3/5, 25/27 के अंतर्गत, थाना - जानी, जिला - मेरठ में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. अभियोजन कहानी के अनुसार, आवेदक द्वारा दिनांक 24.4.2025 को लगभग 7.15 बजे सायं ग्राम के चौकीदार को संदेह के आधार पर मृतक की हत्या करना बताया गया है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में असत्य रूप से फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में तीन घंटे से अधिक की देरी हुई है और इस विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रथम सूचना रिपोर्ट चौकीदार द्वारा केवल संदेह के आधार पर दर्ज कराई गई क्योंकि शव और मृतक की जली हुई मोटरसाइकिल आवेदक के घर के पास पाई गई थी।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि अभियोजन द्वारा तत्पश्चात दो साक्षी जुटाए गए और वे भी अपने पूर्व बयान से पलट गए हैं। अन्वेषण अधिकारी द्वारा सी.सी.टी.वी. फुटेज प्राप्त की गई जिसमें उसने आवेदक के घर की छत से एक व्यक्ति को गोली चलाते हुए देखा, परंतु उस व्यक्ति की किसी ने भी पहचान नहीं की, अतः यह अज्ञात हत्यारे का मामला है।
7. आवेदक को सौंपे गए तीन मामलों के आपराधिक इतिहास की व्याख्या की जा चुकी है। आवेदक दिनांक 25.4.2025 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है परंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए कथनों को विवादित नहीं कर सके।
9. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 एससीसी 648** के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक मामलों का लंबित रहना स्वयं में जमानत देने से इनकार का आधार नहीं हो सकता।
10. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कथनों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि यह अज्ञात हत्यारे का मामला है क्योंकि सी.सी.टी.वी. फुटेज में गोली चलाते दिखे व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकी, अभियोजन द्वारा जुटाए गए दो साक्षी प्रतिकूल हो गए हैं और आवेदक के आपराधिक इतिहास की व्याख्या की जा चुकी है, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय की यह राय है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
11. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक - **राहुल** को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।



- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

12. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

14 जनवरी, 2026

शालिनी